

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला
चित्तौड़गढ़ (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प 21/10/21

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 21/10/21
व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मुसीली	51	भुवना वि० प्रताप	भवानी शम वि० प्रताप
2	—	200	भवानी शम वि० प्रताप	भवानी शम वि० प्रताप
3	—	53	भवानी शम वि० प्रताप	भवानी शम वि० प्रताप
4	—	59	भुवना वि० प्रताप	भवानी शम वि० प्रताप
5	—	277	भुवना वि० प्रताप	भवानी शम वि० प्रताप



(जीता वसीदा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

क्रमांक:- 176/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 8/10/21

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

8/10/21

(जीता वसीदा)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

